

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone_no-01372-252175

पत्रांक 5496/12-1

, गोपेश्वर,

दिनांक

06/06

2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 0.08 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 4831/12-1 दिनांक 05.05.2022.
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी है, के अनुपालन में चाही गयी 03 बिन्दुओं की आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-


क्र.सं.	प्रस्ताव में कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण।
1.	बिन्दु सं० 01 के क्रम में के०एम०एल० फाईल का अवलोकन करने पर पाया कि प्रस्तावित मार्ग में VDF(Very Dense Forest) क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जबकि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर में मार्ग का समरेखण अत्यन्त विरल हरियाली क्षेत्र में बताया गया है स्वयं निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट करे।	प्रस्तावित मोटर मार्ग जो के०एम०एल० फाईल में VDF(Very Dense forest) क्षेत्र दिखाई दे रहा है। उसका प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में वन भूमि में चीड़ के 0-10 के कुल 35 वृक्ष एवं 10-20 व्यास वर्ग से अधिक के कुल 51 चीड़ के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, तथा नाप भूमि में चीड़ के 32 व तीन भीमल के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में आ रही वन भूमि अत्यन्त विरल हरियाली क्षेत्र है। जिसका हरियाली घनत्व 0.3 मात्र है, तथा प्रस्तावित वन भूमि के अलावा नाप भूमि में कुछ स्थानों में चीड़ के वृक्ष संघन वन है।
2.	बिन्दु सं० 02 में वैकल्पिक समरेखण प्रस्तावित मोटर मार्ग के समान्तर लिया गया है जिसको निकटतम मौजूदा सड़क से लिए जाने तथा अपलोड करने हेतु लिखा गया है किन्तु आपके द्वारा ऐसा न करते हुये भ्रामक सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की अपेक्षानुसार वैकल्पिक समरेखण का विवरण अपलोड करे।	अधिकांसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग की पत्र सं० 862/1सी०(वन) दिनांक 03.06.2022 से अवगत कराया है कि स्वीकृत तथा वैकल्पिक संरेखण दोनों निकटतम डिम्बर-सुमल्टा-बणसोली मोटर मार्ग से निर्गत होते हैं तथा लगभग समान्तर प्रतीत होते हैं क्योंकि इन दोनों संरेखण के अतिरिक्त किसी भी संरेखण पर वृक्षों की संख्या 121 (हरियाली घनत्व 0.3-0.4) है। जिसमें से वन भूमि व नाप भूमि में (कुल 118 वृक्ष चीड़ एवं 03 वृक्ष भीमल नाप भूमि) के होने एवं एच०पी०बैण्ड न होने के कारण उक्त संरेखण का चयन किया गया है। वैकल्पिक संरेखण की लम्बाई 2.50 किमी० है इस संरेखण पर 2 हेयरबैण्ड पड़ते हैं तथा 155 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें वृक्षों की संख्या अधिक है। क्षेत्रीय जनता भी इस संरेखण से सहमत नहीं है। डिम्बर-सुमल्टा-बणसोली मोटर मार्ग के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग का कर्णप्रयाग-धारडुंग्री-कण्डारा-सोनला राज्य मार्ग सं० 94 से संरेखण सर्वे का प्रयास किया गया था, परन्तु ग्राम बिडोली एवं फलोटा के ग्रामीणों द्वारा इस संरेखण पर अपनी भूमि देने एवं कई एच०पी० बैण्ड के निर्माण से भविष्य में भूस्खलन के भय के कारण विरोध किया गया है। (पत्र संलग्न-1)) मोटर मार्ग का निर्माण एस०एच० 94 से होने से ग्राम सुमल्टा में स्थित प्राथमिक विद्यालय से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चे मोटर मार्ग पहुंच से वंचित रह जायेंगे, जिस कारण इस विकल्प पर अग्रेत्तर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

<p>3. बिन्दु सं० 03 एन०पी०वी० की गणना सीट में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.02.2009 का उल्लेख किया गया है इसके साथ ही 06 जनवरी 2022 से प्रभावी नई एन०पी०वी० दरों पर आगणन स्पष्ट करे।</p>	<p>एन०पी०वी० गणना सीट को सुधार कर तीन प्रतियों में संलग्न कर की जा रही है। (संलग्न-2)</p>
--	---

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:- 5490 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

OK

प्रधान

ग्राम पंचायत कनखुल तल्ला

विकासखण्ड- कर्णप्रयाग

जनपद- चमोली (उत्तराखण्ड)

शशीकला तोपाल

ग्राम व पो. कनखुल तल्ला

मो. 9634607181, 7248079946

Ref/-

आपालि प्रमाण पत्र

Date: 28-12-2020

हम समस्त ग्रामवासी विडोली तल्ला वालों को
विडोली - कोलाडुंगरी भोवर मार्ग का सर्वे हो रहा
था। उसमें हमारी कृषि भूमि पूरी तरह से
अभावित हो रही है। जिस पर समस्त ग्रामवासियों
को घोर आपालि है,

दिनेश सिंह
महादेव सिंह

दानोसिंह

वसन्त कुमार रावत

मेमसिंह

दिनेशसिंह

कमलसिंह

तन्प्रासिंह

विष्णुसिंह

समस्त ग्रामवासी
विडोली तल्ला



Phone/Fax No. :- 01363-240614

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 862/1सी0 (वन)
सेवा में,

दिनांक 03/08/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-

सन्दर्भ:-
महोदय,

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्ता मोटर मार्ग के कि०मी० 8 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।
आपका पत्रांक संख्या- 588/1सी0 वन दिनांक 23.4.2022

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अद्यतन कराना है कि डिम्बर-सुमल्ता मोटर मार्ग के कि०मी० 8 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत है-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	On perusal of KML file, it is noticed that village is already connected with the road. If the connectivity required through deep inside the forest then the alignment can also be proposed from the nearest existing road instead of fragmenting the forest from other side which appears very dense.	ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है। विषयगत गाँव की डिम्बर-सुमल्ता-बणसोली मोटर मार्ग से दूरी 2.225 कि०मी० है जो सघन वन क्षेत्र से न गुजर कर विरल हरियाली घनत्व (0.3-0.4) से गुजरती है। इस सम्बन्ध में दिनांक 21.5.2022 को वन विभाग के साथ पुनः संयुक्तस्थलीय निरीक्षण कर आख्या वनक्षेत्राधिकारी नंदप्रयाग रेंज, नंदप्रयाग द्वारा प्रेषित किया जाना है।
2	It is also seen that the alternative alignment is parallel to the proposed road which does not serve the purpose. State Government is required to upload the details of the alternative explored from nearest existing road.	स्वीकृत तथा वैकल्पिक संरेखण दाना निकटतम डिम्बर-सुमल्ता-बणसोली मोटर मार्ग से निर्गत होते हैं तथा लगभग समान्तर प्रतीत होते हैं क्योंकि इन दोनों संरेखण के अतिरिक्त किसी भी संरेखण पर ग्रामीण अपनी भूमि देने हेतु सहमत नहीं हैं। स्वीकृत संरेखण पर वृक्षों की संख्या 121 (हरियाली घनत्व 0.3-0.4) है। जिसमें से 118 वृक्ष चीड़ के होने एवं एच०पी० बेंड न होने के कारण उक्त संरेखण का चयन किया गया है। वैकल्पिक संरेखण की लम्बाई 2.500 कि०मी० है, इस संरेखण पर 2 हेयरपिन बेंड पड़ते हैं तथा 155 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें कि वृक्षों की संख्या अधिक है। क्षेत्रीय जनता भी इस संरेखण से सहमत नहीं है। डिम्बर-सुमल्ता-बणसोली मोटर मार्ग के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग का कर्णप्रयाग- धारडुंग्री-कण्डारा- सोनला राज्य मार्ग संख्या 94 से संरेखण सर्वे का प्रयास किया गया था, परन्तु ग्राम बिडोली एवं फलोटा के ग्रामीणों द्वारा इस संरेखण पर अपनी भूमि देने एवं कई एच०पी० बेंड के निर्माण से भविष्य में भूस्खलन के भय के कारण विरोध किया गया है। (पत्र संलग्न)। मोटर मार्ग का निर्माण एस.एच. 94 से होने से ग्राम सुमल्ता में स्थित प्राथमिक विद्यालय से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चे मोटर मार्ग पहुँच से वंचित रह जायेंगे। जिस कारण इस विकल्प पर अग्रतर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3	The NPV calculation sheet is found uploaded on old rates. State Govt may submit/ Upload NPV calculation Sheet as per new rates.	एन०पी०वी० की गणनाशीट नई दरों पर गठित कर आपके पत्रांक संख्या 4164/12-1 दिनांक 6.4.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे निर्धारित कॉलम में आनलाइन अपलोड किया जा चुका है।


संलग्न- उपरोक्तानुसार।


अधिसासी, अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गौचर (चमोली)

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी० ०६ से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु ०.८०५ है० सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु ०.०५६ है० कुल ०.८६१ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० File No.5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक ०६.०१.२०२२ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

- १- ईको-क्लास श्रेणी - V
- २- हरियाली का घनत्व- ०.३
- ३- एन०पी०वी० की दर प्रति रू० १०,०५,२१०.००
- ४- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- ०.८६१ है०
- ५- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रू० ८६५४८५.८१ या रू० ८६५४८६.००


वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर